न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **40 / 2021 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री गोवर्धन पुत्र फतहसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि
अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :20-07.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 14.06.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 389913 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.03.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 21.06.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के पत्रांक 119 दिनांक 09.07.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा अभिकथन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। बाद अवलोकन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर तर्कहीन एवं आधारहीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन से चाही गयी सूचना जिसमें आवेदक द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के वर्ष 1999 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के दर्ज रजिस्टर से संबंधित छायाप्रति चाही गयी है एवं सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पूर्णतः उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें अथवा आप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार सूचना 20 वर्ष से पूरानी होने पर यदि कार्यालय रेकॉर्ड जाया कर दिया गया है तो रेकॉर्ड जाया की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा